CGJC060016212025

Reg Cri–Case No –1478/2025
State Of C.G Vs Chaat Bai **Banjare**

न्यायालय सुश्री शुभदा गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

निर्णय दिनांक 11–08–2026

आपराधिक प्रकरण क्रमांक –1478/2025

सी.एन.आर.नं. – CGJC060016212025

प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रं. 117/25–2026, आबकारी वृत्त सक्ती, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

FORM – D

COMPLAINANT	छ.ग. शासन द्वारा आबकारी वृत्त सक्ती, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) वर्तमान जिला–सक्ती (छ.ग.)
REPRESENTED BY	ए.डी.पी.ओ. श्री अरविन्द जायसवाल।
ACCUSED	छतबाई बंजारे ध.प. झक्कर बंजारे, आयु 35 वर्ष, निवासी वार्ड न. 12 मुक्ताराजा, थाना बाराद्वार, जिला–जांजगीर चांपा वर्तमान जिला सक्ती (छ.ग.)
REPRESENTED BY	श्री के.आर. घृतलहरे अधिवक्ता।

FORM – E

Date of Offence	14–08–2025
Date of FIR	14–08–2025
Date of Charge Sheet	15–10–2025
Date of Framing of Charge	13–03–2026
Date of Commencement of Evidence	10–06–2026
Date of which Judgement is reserved	–
Date of Judgement	11–08–2026

Date of sentencing Order, if any	-

Accused Details

Rank of Accused	Name of the Accused	Date of Arrest	Date of release on Bail	Offence Charged with	Whether acquitted of convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 468 BNSS
01	छतबाई बंजारे	14-08-2025	14-08-2025	34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915	दोषमुक्त	-	निरंक

FORM - F

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgement	1
2	Appearance of Advocate	1
3	Charge	3
4	Admitted Facts	3
5	Prosecution Story	3 To 4
6	Reasons and findings	10 To 11
7	Sentence	-
8	Period of Detention & Set-Off	11
9	Disposal of Property	11
10	Order of Compensation	-
11	Certificate under section 468 BNSS	12
12	Warrant of Commitment on a sentence (imprisonment or Fine)	-
13	Copy of Judgement	-

//निर्णय //

(आज दिनांक 11–08–2026 को घोषित किया गया)

01/ आरोपी **छतबाई बंजारे** के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक 14–08–2025 को समय 13:00 बजे जिला सक्ती, आबकारी वृत्त सक्ती क्षेत्रांतर्गत स्थान/ग्राम वार्ड न. 12 मुक्ताराजा थाना बाराद्वार स्थित अपने रिहायशी मकान में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखी थी।

02/ प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नही है।

03/ अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी वृत्त सक्ती के सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल दिनांक 14–08–2025 को गश्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव के कारण बगैर तलाशी वारंट लिए मय स्टॉफ गवाहो के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाह ओम प्रकाश बंजारे एवं देवचरण बंजारे को कार्यवाही में सहयोग हेतु धारा 179 BNSS का नोटिस देकर तलब कर उक्त गवाहो को साथ में लेकर गवाहों के समक्ष अपनी एवं

अपने स्टाफ की जामा तलाशी देने के बाद आरोपी के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लिये जाने पर रिहायशी मकान से एक 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब तरल द्रव बरामद किया गया। तरल द्रव की जांच मौके पर देखकर, सूंघकर, नीला लिटमस पेपर डालकर किया गया एवं तेजी थर्मामीटर एवं हाईड्रोमीटर डालकर देखा गया। अनुभव एवं विभागीय प्रशिक्षण के आधार पर तरल द्रव हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब होना पाया था।

04/ विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना व सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा, धारा 179 BNSS का नोटिस, जामा तलाशी पंचनामा, तलाशी पंचनामा, जांच पंचनामा, जप्ती पत्रक, सील पेपर, गिरफ्तारी पत्रक, घटना स्थल का नजरी नक्शा, मकान आधिपत्य पंचनामा, तलाशी पश्चात पंचनामा एवं गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध कर संपूर्ण विवेचना पश्चात आबकारी वृत्त वापिस आकर आरोपी के विरूद्ध आबकारी वृत्त सक्ती के अपराध क्रमांक 117/2025–26 अंतर्गत धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

05/ आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम बनना परिलक्षित होने पर अपराध विवरण पृथक से विरचित कर अपराध की विशिष्टियां बताये जाने पर जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा। आरोपी का अभिवाक् उसके शब्दो में लेखबद्ध किया गया ।

06/ आरोपी के **विरूद्ध बीएनएसएस 2023 की धारा 351** के तहत परीक्षण किया जाकर आरोपी से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछने पर उसने बचाव में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए कोई साक्ष्य नही देना व्यक्त किया।

07/ इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख रूप से अवधारणीय प्रश्न यह है कि:–

क्या आरोपी ने दिनांक 14–08–2025 को समय 13:00 बजे जिला सक्ती, आबकारी वृत्त सक्ती क्षेत्रांतर्गत स्थान/ग्राम वार्ड न. 12 मुक्ताराजा थाना बाराद्वार स्थित अपने रिहायशी मकान में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखी थी?

08/ अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल (अ.सा.1), ओम प्रकाश बंजारे (अ.सा.2) एवं देवचरण

बंजारे (अ.सा.3) का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों कों प्रदर्शांकित कराया गया है –

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1	मुखबीर सूचना व सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा	प्र.पी.–01
2	धारा 179 BNSS का नोटिस	प्र.पी.–02
3	जामा तलाशी पंचनामा	प्र.पी.–03
4	तलाशी व बरामदगी पंचनामा	प्र.पी.–04
5	जांच पंचनामा	प्र.पी.–05
6	धारा 94 BNSS का नोटिस	प्र.पी.–06
7	जप्ती पत्रक	प्र.पी.–07
8	सील पेपर पंचनामा	प्र.पी.–08
9	गिरफ्तारी पत्रक	प्र.पी.–09
10	घटनास्थल का नजरी नक्शा	प्र.पी.–10
11	मकान आधिपत्य पंचनामा	प्र.पी.–11
12	तलाशी पश्चात पंचनामा	प्र.पी.–12
13	साक्षी ओम प्रकाश बंजारे का पुलिस कथन	प्र.पी.–13
14	साक्षी देवचरण बंजारे का पुलिस कथन	प्र.पी.–14

// सकारण निष्कर्ष //

09/ सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल (अ.सा.–1) ने न्यायालयीन कथन प्रस्तुत किया है कि दिनांक 14–08–2025 को आबकारी वृत्त सक्ती में पदस्थापना के दौरान उक्त दिनांक को हमराह स्टाफ के साथ संयुक्त रोड गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम वार्ड न.12 मुक्ताराजा, थाना बाराद्वार निवासी छतबाई बंजारे ध.प. झक्कर बंजारे अपने कब्जे में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर विक्रय कर रही है। उक्त सूचना प्राप्ति पर उसके द्वारा गवाह ओम प्रकाश बंजारे एवं देवचरण बंजारे के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा प्र.पी.–1 तैयार कर मौके पर गवाहो को कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु धारा 179 BNSS का नोटिस प्र.पी.–2 देकर गवाहो को तलब किया गया तथा को साथ में लेकर मौके पर पहुंचकर अपनी व अपने स्टाफ की जामा तलाशी प्र.पी.–3 दिए जाने के बाद आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी लिए जाने पर एक 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब तरल द्रव बरामद किया गया, तलाशी व बरामदगी पंचनामा प्र.पी.–4 है ।

10/ उसके द्वारा मौके पर उक्त शराब का जांच पंचनामा प्र.पी.–5 के अनुसार जांच करने पर हाथ भट्ठी महुआ शराब होना गया, उसके द्वारा आरोपी को जप्त शुदा द्रव के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने बाबत धारा 94 BNSS का नोटिस प्र.पी.–6, उनके द्वारा मौके पर सीलपेपर पंचनामा प्र.पी.–8, जप्ती पत्रक प्र.पी.–7 के अनुसार जप्त कर उसे गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.–9 के अनुसार गिरफ्तार किया गया तथा घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.–10, मकान आधिपत्य पंचनामा प्र.पी.–11 एवं तलाशी पश्चात पंचनामा प्र.पी.–12 तैयार कर गवाहो का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

11/ प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्वीकार किया है कि गश्त हेतु वे लोग किस वाहन से गये थे तथा जप्तशुदा महुआ शराब को कहां रखा गया था, इसका उल्लेख उसने नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में मकान आधिपत्य के संबंध में राजस्व रिकार्ड प्रकरण में प्रस्तुत नही किया है, परंतु इंकार किया है कि उसने प्रकरण में निष्पक्ष विवेचना नहीं की है ।

12/ ओम प्रकाश बंजारे (अ.सा.–2) एवं देवचरण बंजारे (अ.सा.–3) ने आरोपी को गांव की होने से जानना पहचानना बताते हुए मुखबीर सूचना एवं सर्च

वारंट न ले पाने का पंचनामा प्र०पी० 01, धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस प्र०पी० 02, जामा तलाशी पंचनामा प्र०पी० 03, तलाशी पंचनामा प्र०पी० 04, जांच पंचनामा प्र०पी० 05, धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस प्र०पी० 06, जप्ती पत्रक प्र०पी० 07, सील पेपर पंचनामा प्र०पी० 08, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 09, नजरी नक्शा प्र०पी० 10, मकान आधिपत्य पंचनामा प्र.पी.–11 एवं तलाशी पश्चात पंचनामा प्र.पी.–12 पर अपना–अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हुए कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

13/ पक्षद्रोही घोषित करने पर साक्षीगण ने इंकार किया है कि दिनांक 14–08–2025 को ग्राम वार्ड नं. 12 मुक्ताराजा थाना बाराद्वार स्थित आरोपी के रिहायशी मकान से आबकारी पुलिस वाले उसके सामने एक 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य शेष कार्यवाहियां की थी और उन्होने पुलिस को बयान प्र.पी.–13 एवं 14 भी दिया था। प्रतिपरीक्षा में भी साक्षीगण ने उनके समक्ष कोई कार्यवाही न की जाकर कोरे दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने का कथन किया है।

14/ प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जप्तशुदा द्रव को जांच के दौरान हाथ भट्ठी महुआ शराब होना बताया गया है, जिसका खण्डन

प्रतिपरीक्षा में नही हुआ है। अतः यह प्रमाणित है कि जप्तशुदा द्रव हाथ भट्ठी महुआ शराब थी। अब इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि क्या उपरोक्त हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब आरोपी के कब्जे से ही बरामद हुई थी ?

15/ प्रकरण में विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना के संबंध में न्यायालयीन साक्ष्य दिया है, परंतु अभियोजन के स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा दस्तावेजो पर मात्र अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हुए, घटना का समर्थन नहीं किया हैं, जिससे जप्ती एवं अन्य कार्यवाहियां प्रमाणित नहीं हैं। प्रकरण में कार्यवाही हेतु विवेचक किस साधन से घटना स्थल पर पहुंचे थे, इसका भी उल्लेख नहीं है, ना ही घटना स्थल आरोपी के कब्जे का स्थान है तथा घटना के पूर्व वह किसी अन्य व्यक्ति के पहुंच में नहीं था, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य अभिलेख में दर्शित नहीं है। वहीं मकान के किस विशिष्ट भाग से मदिरा को बरामद किया गया था, उसका स्पष्टतः जप्ती पत्रक में उल्लेख नहीं किया गया है।प्रकरण में जप्ती माल रजिस्टर तथा जप्तशुदा मदिरा को भी विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियां विवेचना अधिकारी के द्वारा की गयी विवेचना की कार्यवाही को संदिग्ध एवं दोषपूर्ण बना रही है, जिससे प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है।

16/ विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है एवं संदेह की स्थिति में उसका लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिये। अतः उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से आरोपी **छतबाई बंजारे** के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित ना होने से उसे **छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)** के अपराध में दोषमुक्त किया जाकर स्वतंत्र किया जाता है।

17/ प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरी 03 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। उपरोक्त आदेश की अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

18/ आरोपी की अभिरक्षा अवधि निरंक है ।

19/ अभियुक्त के द्वारा निष्पादित जमानत एवं बंधपत्र धारा 481 BNSS के प्रावधानों के अनुपालन में निर्णय दिनांक से आगामी छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे ।

तद्नुसार निर्णित।

स्थान –सक्ती (छ.ग.)
दिनांक 11–08–2026

सही/–
(सुश्री शुभदा गोयल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती
जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

CGJC060016212025

Reg Cri-Case No -1478/2025
State Of C.G Vs Chaat Bai **Banjare**

न्यायालय सुश्री शुभदा गोयल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
आरोपी की अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का विवरण

(अंर्तगत धारा 468 BNSS के तहत)

क्र.	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	जमानत मे रिहा होने का दिनांक	कुल निरोध की अवधि
1	छतबाई बंजारे	14-08-2025	निरंक	निरंक	14-08-2025	निरंक

स्थान - सक्ती (छ.ग.)
दिनांक 11-08-2026

SHUBHDA GOYAL
Digitally signed by SHUBHDA GOYAL
Date: 2026.08.11 17:27:35 +0530

सही/-
(सुश्री शुभदा गोयल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)